

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतन लाल

बनाम

माजी लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

209/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतन लाल</u></p> <p>पिता श्री <u>हजारी लाल जोशी</u></p> <p>निवासी- <u>धनेर कुई</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धनेर कुई</u></p> <p><u>प.ह. करमोर</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>397/3</u></p> <p><u>413/5</u> , <u>5</u> <u>0.12</u> , <u>1.03</u> <u>0.13</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>1.28</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धनेर कुई (करमोर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>397/3</u> , <u>413/5</u> , <u>5</u></p> <p><u>0.13</u> , <u>0.12</u> , <u>1.03</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>1.28</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>रतन लाल</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बिजू दवल) महाक कल उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>